

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~दोहरा~~
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- शुभेन्द्र कुमार झा
R.A.S

दावा बाबत जगदीश सिंह रिश्मल गंज
जाग सा. उकल
88 R.S. 114

उनवान बनाम शुभानारायण शराराम मल्लभारथ
रामचन्द्र लक्ष्मण शरारथ
पुन्याराम शिवराम लेला राम
धीमा प्रमद शिवराम शिवराम
नरसींग चोना सिंह रिश्मल गंज
सा उकल गंज लोवा कापेट

मुकदमा नम्बर :- 166/18

निर्णय दिनांक :- 29.6.18

वादी की ओर से जगदीश की व प्रतिवादी की ओर से शुभानारायण

उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, दोहरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

~~कार्य का वाद आपसी सहमति से ली कारक मौजा उकल 2
खं. नं. 111, 114, 115 में वादी का नाम जगदीश वलद रिश्मल है
स्थान पर शुभ नाम जगदीश सिंह रिश्मल कुरसु के ली की कुरसु
दिनांक 11/1/18 निर्णय की पालना हेतु तदनुसार संपत्ति
को कुरसु दिनांक 11/1/18 पर्याप्त के फल शुभ होकर~~



यह आज तारीख 29.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शुभेन्द्र कुमार झा)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर